



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-01102022-239265
CG-DL-W-01102022-239265

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 1—अक्टूबर 7, 2022 (आश्विन 9, 1944)
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1—OCTOBER 7, 2022 (ASVINA 9, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	921	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	839	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3069	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	7949
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	325
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	2653
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	921	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	839	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	3069	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	7949
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	325
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	2653
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2022

शुद्धिपत्र

सं. 225-प्रेस/2022—भारत के राजपत्र के भाग -1 खंड -1 दिनांक 26 जनवरी, 2022 को प्रकाशित राष्ट्रपति सचिवालय की विशिष्ट सेवा मेडल पदक से संबंधित दिनांक 9 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या 213-प्रेस/ 2022 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

क्रम संख्या 87

कैप्टन (टीएस) महर करन पाल सिंह (04403-एफ) - के स्थान पर

कैप्टन (टी एस) महर कर्ण पाल सिंह (04403- एफ) -- पढ़ा जाए

एस एम समी
अवर सचिव

दिनांक 30 सितम्बर 2022

सं. 288-प्रेज/2022—भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड 1 में दिनांक 03 अक्टूबर, 2020 को प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 124-प्रेज/2020, दिनांक 26 जनवरी, 2020 के तहत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के तत्कालीन कांस्टेबल श्री नासिर अहमद (क्रम संख्या-04) को वीरता के लिए दिये गये पुलिस पदक को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है और पुलिस पदक को शासित करने वाले नियमों के नियम 8 के तहत इस पदक को जब्त किया जाता है ।

एस एम समी
अवर सचिव

आयुष मंत्रालय

नई दिल्ली-110023, दिनांक 2 सितम्बर 2022

संकल्प

सं.- ई-11016/4/2021.रा.भा.—भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। इस समिति की संरचना और कार्य निम्नानुसार होंगे:—

माननीय आयुष मंत्री - अध्यक्ष

माननीय आयुष राज्य मंत्री - उपाध्यक्ष

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य:

1.	श्री ज्ञानेश्वर पाटील संसद सदस्य (लोक सभा)	-	सदस्य
2.	श्री सुनील बाबूराव मेंढे संसद सदस्य (लोक सभा)	-	सदस्य

3.	डॉ. अनिल जैन संसद सदस्य (राज्य सभा)	-	सदस्य
4.	श्री विरेन्द्र प्रसाद वैश्य संसद सदस्य (राज्य सभा)	-	सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य:

5.	डॉ. मनोज राजोरिया, सांसद (लोक सभा) 901, सरस्वती अपार्टमेंट, बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली। स्थायी पता: 320, टैगोर नगर, अजमेर रोड, जयपुर-302021 (राजस्थान)	-	सदस्य
6.	श्री प्रताप राव जाधव, सांसद (लोक सभा) 23 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 स्थायी पता: "मातोश्री", शिवाजी नगर, मेहकर, जिला-बुलढाणा, महाराष्ट्र	-	सदस्य

स्वैच्छिक हिंदी संगठन द्वारा नामित सदस्य:

7.	डॉ. हेमचन्द्र वैद्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा पता : 'चित्रकूट' राधानगर, साबले प्लॉट बैचलर रोड, वर्धा-442001	-	सदस्य
----	--	---	-------

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित सदस्य:

8.	डॉ. स्वीटी यादव, पता: फ्लैट नं. ई-9, टाईप-3, टावर-14, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली 110023	-	सदस्य
----	--	---	-------

आयुष मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य:

9.	डॉ. किरन हजारीका, प्राचार्य, तेंगाखाट राजकीय कॉलेज, डिब्रूगढ़, असम पता: 1286/, सत्यम कुटीर, पीयूबी-उदयपुर पथ, पी.ओ. सी.आर. बिल्डिंग, चौकीडिगही, डिब्रूगढ़, असम-786003	-	सदस्य
10.	श्री वीरेन्द्र कुमार यादव, संरक्षक, जगदंबी प्रसाद यादव स्मृति प्रतिष्ठान पता: 153, एम.आई.जी. लोहियानगर, कंकड़बाग, पटना-800020	-	सदस्य
11.	श्री राहुल कुमार, पता: बी3/330, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली-110063	-	सदस्य
12.	श्री पार्थसारथि थपलियाल, पता: डी-1033 5वां एवेन्यू, गौरसिटी वन, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) पिन-201318	-	सदस्य

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य:

13.	श्री ऋषभ नाग, सी-401, रामकृष्ण अपार्टमेंट, शिप्रा पथ, बी-2, बाईपास, मानसरोवर, जयपुर-302020 (राजस्थान)	-	सदस्य
14.	श्री संजीव कुमार, प्लॉट संख्या-4719 ई, फ्लैट संख्या-301, सैक्टर-23ए, गुरुग्राम (हरियाणा)	-	सदस्य
15.	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, म.न. 502, पंचशीला भवन, त्रिवेणी रोड, नेता नगर, कीडगंज, प्रयागराज-211003 (उत्तर प्रदेश)	-	सदस्य

पदेन सदस्य:

16.	सचिव, आयुष मंत्रालय	-	सदस्य
17.	विशेष सचिव, आयुष मंत्रालय	-	सदस्य
18.	सचिव, राजभाषा विभाग	-	सदस्य
19.	संयुक्त सचिव (राजभाषा), गृह मंत्रालय	-	सदस्य
20.	संयुक्त सचिव (सामा. एवं प्रशा.), आयुष मंत्रालय	-	सदस्य
21.	संयुक्त सचिव (डीएसपी), आयुष मंत्रालय	-	सदस्य-सचिव
22.	महानिदेशक, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), नई दिल्ली।	-	सदस्य
23.	महानिदेशक, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), नई दिल्ली।	-	सदस्य
24.	महानिदेशक, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच), नई दिल्ली।	-	सदस्य
25.	महानिदेशक, केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस), चेन्नई।	-	सदस्य
26.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच), नई दिल्ली।	-	सदस्य
27.	अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम), नई दिल्ली।	-	सदस्य
28.	निदेश प्रभारी, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच), गाजियाबाद।	-	सदस्य
29.	निदेशक, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन), नई दिल्ली।	-	सदस्य
30.	निदेशक, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), नई दिल्ली।	-	सदस्य
31.	निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी), नई दिल्ली।	-	सदस्य
32.	निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली।	-	सदस्य
33.	निदेशक, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई।	-	सदस्य
34.	निदेशक, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे।	-	सदस्य
35.	निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर।	-	सदस्य
36.	निदेशक, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), कोलकाता।	-	सदस्य
37.	निदेशक, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम), बंगलुरु।	-	सदस्य
38.	निदेशक, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर।	-	सदस्य
39.	प्रबंध निदेशक, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमि.(आईएमपीसीएल), उत्तराखंड।	-	सदस्य
40.	निदेशक, पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनईआईएफएमआर), अरुणाचल प्रदेश।	-	सदस्य
41.	निदेशक, पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएच), मेघालय।	-	सदस्य

समिति के कार्य:

समिति का कार्य संविधान के राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम/नियमों के उपबंधों, केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी निदेशों के कार्यान्वयन के बारे में आयुष मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सलाह देना है।

कार्यकाल:

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः उसके गठन की तिथि से तीन वर्ष तक होगा, बशर्ते कि:

(क) जो सदस्य संसद सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर समिति के भी सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य तब तक सदस्य बने रहेंगे, जब तक कि वे उन पदों पर आरूढ़ रहेंगे जिन पर होने के कारण वे समिति के सदस्य बने हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्याग-पत्र, मृत्यु आदि के कारण कोई रिक्ति होती है तो इस रिक्ति पर नियुक्त होने वाला सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

यात्रा तथा दैनिक भत्ता:

गैर-सरकारी सदस्यों को उनके निवास स्थान से बैठक के स्थान तक सबसे कम दूरी वाले रास्ते से उनकी पात्रता संबंधी दरों पर यात्रा-भत्ता दिया जाएगा। उन्हें समिति की बैठक में शामिल होने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा।

मुख्यालय:

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, आयुष मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों एवं संघ राज्य प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डी. सेंथिल पांडियन
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 29th September 2022

CORRIGENDUM

No 225-Pres/2022—The following amendments are to be made in this Secretariat Notification No. 213-Pres/2022 dated 26th January, 2022 published in Part-I, Section-1 of the Gazette of India dated 09th April, 2022 relating to the award of "Vishisht Seva Medal";—

At Serial No. 87

For :- CAPT (TS) MAHAR KARNN PAL SINGH (04403-F)

Read :- CAPT (TS) MAHAR KARN PAL SINGH (04403-F)

At Serial No. 89

For : COMMANDER YOGESH V ATHAVALE (04903-T)

Read : COMMANDER YOGESH V ATHAWALE (04903-T)

S M SAMI
Under Secretary

The 30 September 2022

No. 288-Pres/2022—The Police Medal for Gallantry awarded to Shri Nasser Ahmed (SI No - 4), the then Constable, Central Reserve Police Force (CRPF) vide this Secretariat Notification No.124-Pres/2020 dated the 26th January, 2020 published in Part-I, Section-1 of the Gazette of India dated Saturday, the 3rd October, 2020 is hereby cancelled and the medal forfeited under Rule 8 of the Rules governing the award of Police Medal.

S.M. SAMI
Under Secretary

MINISTRY OF AYUSH

New Delhi-110023, the 2nd September 2022

RESOLUTION

No. E-11016/4/2021.O.L—The Govt. of India has decided to constitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Ayush. The composition of the Samiti and its functions shall be as under:—

Hon'ble Minister of Ayush	-	Chairman
Hon'ble Minister of State (Ayush)	-	Vice-Chairman

Members nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs:			
1.	Shri Gyaneshwar Patil, Member of Parliament (Lok Sabha)	-	Member
2.	Shri Sunil Baburao Mendhe, Member of Parliament (Lok Sabha)	-	Member
3.	Dr. Anil Jain, Member of Parliament (Rajya Sabha)	-	Member
4.	Shri Birendra Prasad Baishya, Member of Parliament (Rajya Sabha)	-	Member
Members nominated by the Committee of Parliament on Official Language:			

5.	Dr. Manoj Rajoria, Member of Parliament (Lok Sabha) 901, Saraswati Apartment, B.D. Marg, New Delhi. Permanent Add: 320 Tagore Nagar, Ajmer Road, Jaipur-302021 (Rajasthan)	-	Member
6.	Shri Prataprao Jadhav, Member of Parliament (Lok Sabha) 23 Ashok Road, New Delhi-110001 Permanent Add : ‘‘MATOSHRI’’, Shivaji Nagar, Mehkar, Distt-Buldhana, Maharashtra	-	Member
Members nominated by Voluntary Hindi Organisation:			
7.	Dr. Hem Chandra Vaidya, Pradhanmantri, Rashtrabhasha Prachar Samiti, Vardha Add : ‘Chitrakoot’ Radhanagar, Sable Plot Bachelor Road, Wardha -442001	-	Member
Members nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad:			
8.	Dr. Sweety Yadav, Add: Flat No.E-9, Type-3, Tower-14, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023	-	Member
Non-Official Members nominated by the Ministry of Ayush:			
9.	Dr. Kiran Hazarika, Professor, Tengakhat Government College, Dibrugarh, Assam Add6/128 : Satyam Kutir, PUB-Udaipur path, P.O.-C.R. building, Chowkidinghee, Dibrugarh, Assam-786003	-	Member
10.	Shri Birendra Kumar Yadav, Sanrakshak, Jagdambi Prasad Yadav Smriti Pratisthan, Patna. Add153 : M.I.G., Lohianagar, Kankarbagh, Patna-800020	-	Member
11.	Shri Rahul Kumar, Add :B33/30, Paschim Vihar, New Delhi-110063	-	Member
12.	Shri Parthasarathi Thapliyal, Add :D1033-, 5 th Avenue, Gaur City 1, Greater Noida (West), Gautambudh Nagar (Uttar Pradesh) Pin-201318	-	Member
Members nominated by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs:			
13.	Shri Rishabh Nag, C-401, Ramakrishna Apartment, Shipra Path, B-2 By-pass, Mansarovar, Jaipur-302020 (Rajasthan)	-	Member
14.	Shri Sanjeev Kumar, Plot No.4719 E, Flat No.301, Sector-23A, Gurugram (Haryana)	-	Member
15.	Shri Gyanendra Kumar Shrivastava, House No. 502, Panchsheela Bhawan, Triveni Road, Neta Nagar, Keedganj, Prayagraj-211003 (Uttar Pradesh)	-	Member
Ex-Officio Members:			
16.	Secretary, Ministry of Ayush	-	Member
17.	Special Secretary, Ministry of Ayush	-	Member

18.	Secretary, Department of Official Language	-	Member
19.	Joint Secretary (Official Language), Ministry of Home Affairs	-	Member
20.	Joint Secretary(Gen.& Admn.), Ministry of Ayush	-	Member
21.	Joint Secretary(DSP), Ministry of Ayush	-	Member-Secretary
22.	Director General, Central Council for Research in Unani Medicine (CCRUM), New Delhi.	-	Member
23.	Director General, Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS), New Delhi.	-	Member
24.	Director General, Central Council for Research in Homoeopathy (CCRH), New Delhi.	-	Member
25.	Director General, Central Council for Research in Siddha (CCRS), Chennai.	-	Member
26.	Chairman, National Commission for Homoeopathy (NCH), New Delhi.	-	Member
27.	Chairman, National Commission for Indian System of Medicine (NCISM), New Delhi.	-	Member
28.	Secretary, Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy (PCIM&H), Ghaziabad.	-	Member
29.	Director, Central Council for Research in Yoga & Naturopathy (CCRYN), New Delhi.	-	Member
30.	Director, Morarji Desai National Institute of Yoga(MDNIY), New Delhi.	-	Member
31.	Director, Rashtriya Aurveda Vidyapeeth (RAV), New Delhi.	-	Member
32.	Director, All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi.	-	Member
33.	Director, National Institute of Siddha (NIS), Chennai.	-	Member
34.	Director, National Institute of Naturopathy (NIN), Pune.	-	Member
35.	Director, National Institute of Ayurveda (NIA), Jaipur.	-	Member
36.	Director, National Institute of Homoeopathy (NIH), Kolkata.	-	Member
37.	Director, National Institute of Unani Medicine (NIUM), Bengaluru.	-	Member
38.	Director, Institute of Teaching and Research in Ayurveda (ITRA), Jamnagar.	-	Member
39.	Managing Director, Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Corporation Ltd.(IMPCL), Uttarakhand.	-	Member
40.	Director, North Eastern Institute of Ayurveda & Folk Medicine Research (NEIAFMR), Arunachal Pradesh.	-	Member
41.	Director, North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy (NEIAH), Meghalaya.	-	Member

Functions of the Samiti:

The functions of the Samiti are to render advice regarding implementation of the provisions relating to Official Language contained in the Constitution, Official Languages Act and Rules, Policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti, instructions issued by the Ministry of Home Affairs/Department of Official Language relating to Official Language Hindi and also the progressive use of Hindi in the Ministry of Ayush.

Tenure:

The tenure of the Samiti shall be generally three years from the date of its constitution, provided that:

- (a) A member, who is a Member of Parliament, ceases to be a member of the Samiti as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament.
- (b) Ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.
- (c) If a vacancy arises in the Samiti due to the death, resignation etc. of any member, the member appointed against the vacancy shall hold office for the residual term of three years.

Travelling and daily allowance:

The non-official members will be paid travelling allowance by shorter route from their residence to the place of meeting as per their entitlement. They will also be paid daily allowance on rates fixed by the Government of India from time to time.

Headquarters:

The headquarters of the Samiti shall be at New Delhi.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be sent to all Members of the Samiti, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Comptroller & Auditor General of India, Union Public Service Commission, Principal Pay & Accounts Office, Ministry of Ayush, All Attached & Subordinate Offices and Public Sector Undertakings etc. of the Ministry of Ayush and all Ministries/Departments of the Government of India and State Governments and UT Administrations.

Ordered also that the Resolution may be published in the Gazette of India for general information.

D. SENTHIL PANDIAN
Joint secretary